

राजस्थान

1. मंत्रालय ने उत्कृष्टता के बेंचमार्क के तौर पर प्रत्येक ब्लॉक में एक स्कूल की दर से 6000 मॉडल स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनमें से 3,500 स्कूलों की स्थापना राज्य/संघ राज्य सरकारों के माध्यम से शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में की जाएगी और 2500 स्कूलों की स्थापना गैर-शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के अंतर्गत की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से शैक्षिक रूप से पिछड़े 3500 ब्लॉकों की स्थापना करने संबंधी संघटक वर्ष 2009-10 से संचालित किया जा रहा है।

2. इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं

- प्रत्येक ब्लॉक में अच्छी गुणवत्ता वाले कम से कम एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का होना।
- इन स्कूलों के लिए गति-निर्धारक भूमिका का निर्वहन करना।
- नवाचारी पाठ्यक्रम एवं शिक्षण का प्रयास करना।
- अवसंरचना, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन एवं स्कूल अभिशासन में आदर्श स्थापित करना।

3. राजस्थान राज्य के संबंध में ब्लॉक विवरण

(i)

ब्लॉक की कुल संख्या	254
शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों की संख्या	186
गैर-शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों की संख्या	68
अनुमोदित स्कूलों की संख्या (प्रत्येक शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में एक स्कूल की दर से)	134
कार्यरत स्कूलों की संख्या	72

(ii) अनुमोदित आदर्श स्कूल

वर्ष	अनुमोदित स्कूलों की संख्या
2010-11	91
2011-12	43
कुल	134

(iii) जारी किए गए अनावर्ती अनुदान

वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रु. में)
2010-11	91.71
2011-12	49.92
कुल	141.63

(iv) कार्यरत आदर्श स्कूल

वर्ष	कार्यरत स्कूलों की संख्या
2013-14	72
कुल	72

(v) जारी किए गए आवर्ती अनुदान

वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
2013-14	10.27
कुल	10.27
